-10-

File no- 495/2019

— पृ० 111-110/प० पर अपर पुलिस महानिदेशक, एवं निबंधक, BHRC, पटना का संयुक्त जाँच प्रतिवेदन रक्षित है।

कृपया

प्रवीण कुमार 19-1-22

कार्यालय की उपरोक्त टिप्पणी कृपया।
पृ० 111-110/प० पर ADG BHRC एवं निबंधक BHRC का संयुक्त जाँच प्रतिवेदन रक्षित है।
कृपया अवलोकनार्थ/आदेशार्थ

19.01.22
पुलिस अधीक्षक,

माननीय अध्यक्ष,

<u>संचिका संख्या : 495/19</u>

<u>दिनांक : .24.01.2022</u>

आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन धनरूआ थाना कांड संख्या–237/2018 में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा समर्पित टिप्पणी को रदद करते हुए पुनः पर्यवेक्षण के अनुरोध के साथ दाखिल किया गया था।

पूर्व में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का प्रतिवेदन वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना के पत्र के साथ प्राप्त है। परन्तु आवेदन में लगाये गये आरोपों को गम्भीरता को देखते हुए, इस संचिका को

अपर पुलिस महानिरिक्षक एवं निबंधक, राज्य आयोग को संयुक्त समिति बनाते हुए जांच हेतु भेजा गया था। जांच प्रतिवेदन प्राप्त है जो पृष्ठ 110 एवम् 111 प0 पर रक्षित है।

संयुक्त जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि परिवादी तथा विपक्षीगण के द्वारा एक दूसरे के विरूद्ध काण्ड दर्ज किये गये है। धनरूआ थाना कांड संख्या 235/18 वादी नरेश कुमार के द्वारा आवेदक एवं अन्य के विरूद्ध मारपीट के आरोप के साथ पंजीकृत किया गया है। जबकि धनरूआ कांड संख्या 237/18 आवेदक के पुत्र के द्वारा दिये गये पी0एम0सी0एच0 में फर्दब्यान के आधार पर धनरूआ थाना कांड संख्या 235/18 वादी नरेश कुमार उर्फ ज्ञानी प्रसार एवं अन्य के विरूद्ध जान मारने के नियत से गोली चलाने गोली वादी के सिर से लगते हुए निकल जाने के आरोप के साथ यह दर्ज कराया गया है यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि दोनों कांड अनुसंधनोपरांत सत्य पाया गया है। परन्तु धनरूआ कांड संख्या 237/18 के अभियुक्त ओम प्रकाश एवं जय प्रकाश की संलिप्तता नहीं पाई गई जांच प्रतिवेदन से यह भी प्रतीत होता है कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मसोढ़ी द्वारा निर्गत पर्यवेक्षण टिप्पणी पी0एम0सी0एच0 पटना के चिकित्सक द्वारा उनके पुत्र को आग्नेयास्त्र से कारित जख्म का चिकित्सा किये जाने , उन्मोचित टिकट पर Fire Arms injury दर्ज रहने के बाद भी पर्यवेक्षण में परिवादी के पुत्र को ढ़ेला से घायल होना बताया गया है। जांच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि अनुसंधानकर्त्ता द्वारा बताया गया कि कांड संख्या 237/18 जख्मी रहीस प्रसाद का जख्म जांच प्रतिवेदन प्राप्त प्राप्त कराने हतु पी0एम0सी0एच0 से सम्पर्क किया गया था, परन्तु उन्हें डिस्चार्ज टिकट पर जख्म प्रतिवेदन नहीं उपलब्ध कराया गया है और वादी के संबंध में कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया जांच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि अनुसंधान उपरांत आरोपपत्र समर्पित कर दिया गया है। अतः आवेदक माननीय न्यायालय में अपना पक्ष रखने को स्वतंत्र है।

जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि काण्ड सं0 237/2018 के वादी के ईलाज के सम्बन्ध में पी.एम.सी.एच. चिकित्सक के आग्नेयास्त्र से कारित जख्म का चिकित्सा किये जाने तथा उन्हें उन्मोचित टिकट Fire Arms injury दर्ज रहने के बाद भी पर्यवेक्षण में उन्हें ढ़ेला से जख्म होने की बात कही गई है। उपरोक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि काण्ड संख्या 237/2018 के अनुसंधान का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है। परन्तु चूंकि मामला अब न्यायालय में लंबित है। अतः इस संबंध में अपना कोई भी मंतव्य नहीं देते हुए आवेदक को अपने बात को न्यायालय के समक्ष रखने का सूझाव देते हुए इस आवेदन को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश की प्रति आवेदक को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson